

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

पप्पू प्रसाद उर्फ पप्पू कुमार

बनाम

बिहार राज्य

2019 की आपराधिक अपील (ख.पी.) सं. 1279

20 सितम्बर 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा)

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 309--- दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील---अपीलकर्ता के विरुद्ध उसकी पत्नी (सूचनाकर्ता) द्वारा लगाया गया आरोप यह था कि पारिवारिक संबंधों में गड़बड़ी के कारण अपीलकर्ता द्वारा अन्य बच्चों को जहरीला पेय पिलाकर मारने के बाद आत्महत्या करने का प्रयास किया गया था---यह दलील दी गई कि ट्रायल कोर्ट द्वारा रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा गया---अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता की दो बेटियों (पी.डब्ल्यू. 1 और 2) और पत्नी (पी.डब्ल्यू.-5) की गवाही पर भरोसा करने पर आपत्ति जताई--- निर्णय: जांचकर्ता ने परिवार, उनकी वित्तीय स्थिति और पति-पत्नी के बीच संबंधों के बारे में सच्चाई जानने का कोई प्रयास नहीं किया-- जांचकर्ता द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं एकत्र किया गया जिससे अपीलकर्ता द्वारा अपने बच्चों को जहरीला पेय पिलाने और फिर स्वयं उसका सेवन करने के अभियोजन की कहानी को पुष्ट किया जा सके-- मृतक द्वारा अनजाने में कोई जहरीला पदार्थ सेवन किए जाने की संभावना हो सकती है---एक बेटे ने तो यहां तक कह दिया कि मृतक की अपीलकर्ता ने गला घोटकर हत्या की है, जिससे पता चलता है कि गवाह कहानियां गढ़ रहे हैं-- इस मामले की जांच पूरी तरह से घटिया है--

अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को खारिज किया जाता है-- अपील स्वीकार की जाती है

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए :

श्री अंसुल, अधिवक्ता

सुश्री इशिता राज, अधिवक्ता

श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के अधिवक्ता: :

श्री दिलीप कुमार सिन्हा, स.लो.अ.

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 की आपराधिक अपील (ख.पी.) सं. 1279

थाना कांड संख्या-22 वर्ष-2016 थाना- पीरबहोर जिला- पटना से उद्भूत

=====

पप्पू प्रसाद उर्फ पप्पू कुमार, पिता - श्री गणेश प्रसाद, निवासी - ग्राम संपतचक सोहगी
खुशपर, थाना- गौडीचक, जिला-पटना।

... ..अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... ..उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं के लिए :

श्री अंसुल, अधिवक्ता

सुश्री इशिता राज, अधिवक्ता

श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के अधिवक्ता: :

श्री दिलीप कुमार सिन्हा, स.लो.अ.

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा

मौखिक निर्णय

(प्रति : माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

दिनांक-20-09-2024

हमने एकमात्र अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अंसुल और राज्य के विद्वान स.लो.अ श्री दिलीप कुमार सिन्हा को सुना है।

2. अपीलकर्ता को दिनांक 07.09.2019 के निर्णय द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 309 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है। दिनांक 09.09.2019 के आदेश द्वारा, उसे भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास, 10,000/- रुपये का जुर्माना और भारतीय दंड विधान की धारा 309 के अंतर्गत एक वर्ष के लिए साधारण कारावास और 5,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है।

3. दोनों सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया है।

4. यह एक दुखद मामला है जिसमें एक युवा लड़की की मृत्यु हो गई है और यह आरोप लगाया गया है कि उसके पिता/अपीलकर्ता ने उसे जहर युक्त शीतल पेय पिलाया था। विसरा रिपोर्ट ने पुष्टि की कि मृत्युपश्चात परीक्षण (पोस्टमार्टम) रिपोर्ट के दौरान उसके पेट से एकत्र किए गए गहरे भूरे रंग के तरल पदार्थ में एल्यूमीनियम फॉस्फाइड था जिसे व्यावसायिक रूप से सेलफॉस के रूप में जाना जाता है और यह एक गंभीर जठरांत्र संबंधी उत्तेजक रसायन है। इसका उपयोग अनाज के संरक्षक के रूप में भी किया जाता है और यह अत्यधिक जहरीला होता है।

5. मृतक की माँ, अर्थात्, गुरिया देवी (अ.सा.-5) ने फर्दबयान दायर किया, जो अपीलकर्ता, उनके पति पर मुकदमा चलाने का आधार है। उनकी कहानी के अनुसार, 22.01.2016 को सुबह लगभग 7:00 बजे पीएमसीएच से किसी ने उन्हें सूचना दी कि उनके पति और बच्चों ने जहर खा लिया है। वह तुरंत अपने बेटे निशांत कुमार (अ.सा.-3) के साथ पीएमसीएच पहुँचीं। उन्होंने अपनी एक बेटी, लिली कुमारी (15 वर्ष) को पीएमसीएच के आपातकालीन वार्ड में मृत पाया। अपीलकर्ता और दो अन्य बेटियाँ, निशु कुमारी (अ.सा.-1) और छोटी कुमारी (अ.सा.-2) का अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनकी हालत भी गंभीर बताई गई है। निशु कुमारी (अ. सा.-1) ने उसके द्वारा पूछे जाने पर बताया कि अपीलकर्ता ने

शीतल पेय (माजा) में जहर मिला दिया था और उसे और उसकी बहन को पिलाया था। अपीलार्थी ने भी जहर मिश्रित शीतल पेय का सेवन किया था। इससे निशु (अ. सा.-1) घबरा गयी, जो घटना के बारे में रिपोर्ट करने के लिए घर से बाहर आयी थी, लेकिन अपीलकर्ता ने उसे रोक दिया। इस बीच, लिली की स्थिति गंभीर हो गई। बाद में स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन के सदस्य पहुंचे और उन सभी को पीएमसीएच ले आए। अ. सा.-5 को आगे सूचित किया गया कि लिली को पीएमसीएच पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया था। अपने फर्दबयान में, उसने यह भी आरोप लगाया है कि उसके पति का सोनम देवी नाम की एक महिला के साथ अवैध संबंध था और यही कारण था कि लंबे समय से घरेलू कलह चल रहा था। सटीक रूप से, उस परेशान पारिवारिक संबंध के कारण, अपीलकर्ता द्वारा अन्य बच्चों की हत्या करने के बाद आत्महत्या करने का प्रयास किया गया था। उनके अनुसार, यह घटना 21.01.2016 की रात लगभग 10 बजे हुई थी।

6. अ.सा.-5 के पूर्वोक्त फर्दबयान बयान के आधार पर, पीरबहोर थाना कांड संख्या 22/2016 दिनांक 22.01.2016 को तहत जांच के लिए, प्रारंभ में भा.दं.वि. के धारा 304 और 309 के तहत एक मामला दर्ज किया गया। बाद में, धारा 302 और 328 भी जोड़ी गईं।

7. अपीलकर्ता पर आरोप पत्र दायर किया गया, जिसके बाद उस पर मुकदमा चलाया गया।

8. विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों और बचाव पक्ष की ओर से चार गवाहों से पूछताछ करने के बाद अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उपरोक्त के अनुसार सजा सुनाई।

9. विद्वान अधिवक्ता श्री अंसुल ने विचारण न्यायालय के फैसले पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों को विचारण न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा। साक्ष्य की सराहना करने के बुनियादी सिद्धांतों को विचारण न्यायालय ने

नजरअंदाज कर दिया था। अपीलकर्ता की दो बेटियों के बयान पर विचारण न्यायालय की अंतर्निहित निर्भरता, जो बहुत कम उम्र की थीं और उनके द्वारा दिए गए असंगत बयानों के कारण उन्हें उत्कृष्ट गवाह नहीं कहा जा सकता था, दुर्भाग्य से अपीलकर्ता की अपरिवर्तित दोषसिद्धि और सजा का कारण बनी है

10. उन्होंने आगे तर्क दिया है कि जांचकर्ता ने सच्चाई का पता लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और सूचना देने वाले (अ. सा.-5) के हर शब्द पर विश्वास करने का सबसे छोटा तरीका अपनाया था; इस तथ्य के बावजूद कि अ. सा.-5 का अपने पति (अपीलकर्ता) के साथ संबंध खराब दौर से गुजर रहा था और प्रथम दृष्टया, यह एक अलग पत्नी की ओर से एक युवा लड़की की मौत के लिए अपने पति को फंसाने के लिए एक जवाबी कदम प्रतीत होता है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। अपीलकर्ता के कहने पर पेय में कोई जहर मिलाए जाने का कोई सबूत रिकॉर्ड में नहीं है। अ. सा.-5 की अन्य दो जीवित बेटियों के साथ-साथ अपीलकर्ता के भी किसी उपचार का कोई सबूत नहीं है, जिनमें से सभी ने दूषित पेय का सेवन किया था। यद्यपि फॉरेंसिक रिपोर्ट मृतक के पेट के तरल पदार्थ में सेल्फोस की उपस्थिति का खुलासा करती है, लेकिन केवल उसी आधार पर, यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष को सभी संदेहों से परे मामले को साबित करने का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है। मृतक के पेट के तरल पदार्थ में सेल्फोस की उपस्थिति के लिए असंख्य परिस्थितियाँ हो सकती हैं। मृतक अपने माता-पिता यानी अपीलकर्ता और अ. सा.-5 की अनुपस्थिति में अपने अन्य भाई-बहनों के साथ घर में रह रही थी। अपीलार्थी को उसके अपने बच्चों ने केवल चेन्नई से बुलाया था क्योंकि उसकी माँ अ. सा.-5 घर से भाग गई थी। ये सभी उदाहरण तंग वित्तीय परिस्थितियों के साथ एक परेशान परिवार की ओर निश्चित संकेत हैं। अपीलकर्ता के व्यवसाय और उसकी आजीविका के स्रोत के बारे में बताने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। हालाँकि, गवाहों के साक्ष्य से जो पता चलता है वह यह है कि मृतक की माँ एक छात्रावास में रसोइये के रूप में काम कर रही थी। पति और पत्नी के बीच

विवाद की पृष्ठभूमि में, दोनों एक-दूसरे की निष्ठा पर संदेह करते हुए, विचारण अदालत को यह समझना चाहिए था कि बच्चों के कथनों माध्यम से लगाए गए आरोप को सही परिप्रेक्ष्य में सराहा जाना चाहिए था।उन गवाहों को पढ़ाए जाने की पूरी संभावना थी।

11. आखिरकार, यह तर्क दिया गया है कि विचारण अदालत के समक्ष गवाही देने के समय, बच्चों को माँ द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा था। इस तरह की सराहना के बिना, विचारण न्यायालय गलत तरीके से इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अपीलकर्ता ने अपने बच्चों को एक बार में मारने का प्रयास किया और उसके बाद आत्महत्या करने का भी प्रयास किया।

12. उपर्युक्त तर्कों के विपरीत, विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार सिन्हा ने प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय, अ. सा. 1 और 2 की न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने बयानों की प्रकृति और महत्व को समझने की क्षमताओं से पूरी तरह संतुष्ट था। अ. सा. 1, 2 और 3, अपीलकर्ता के बच्चों के बयानों का संचयी अध्ययन, से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि किसी कारण से, निराशा या हताशा से हो सकता है, अपीलकर्ता ने अपने ही बच्चों की हत्या करने और अपने जीवन को भी समाप्त करने का चरम कदम उठाया। उनके व्यवसाय के बारे में पता नहीं था और उनकी पत्नी ने घर छोड़ दिया था। पति-पत्नी में लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। अपीलकर्ता एक कमजोर व्यक्ति के रूप में कार्य करता था और अपने परेशान जीवन से बाहर निकलना चाहता था। उसे सहानुभूति हो सकती है, लेकिन किसी भी तरह से, उसे अपने ही बच्चों को मारने के बाद खुद को मारने के प्रयास के लिए माफ नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता का अपने बच्चों को मारने का प्रयास आंशिक रूप से सफल रहा क्योंकि एक बच्चे की मृत्यु हो गई जबकि अन्य चमत्कारिक रूप से बच गए।

13. ऐसी परिस्थितियों में, श्री सिन्हा ने तर्क दिया है कि बाल गवाहों के बयानों में केवल विसंगतियों को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए और अभियोजन पक्ष के मामले

पर पूरी तरह से अविश्वास करने का आधार नहीं माना जाना चाहिए। अगर बच्चों को माँ द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा था, तो पिता ने भी उनकी देखभाल की थी। यह केवल बेटियों के पूछने पर था कि अपीलकर्ता चेन्नई से वापस आया था। श्री सिन्हा का तर्क है कि अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह संकेत देता हो कि अपीलकर्ता ने पति और पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया था। उस मामले में, यदि उसे यह चरम कदम उठाने के लिए मजबूर किया जाता है, तो कानून उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की गारंटी नहीं देगा और विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भा.दं.वि. की धारा 303 और 309 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए यही किया है।

14. हमने इस मामले के अभिलेखों की विस्तृत जाँच की है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता की दो बेटियाँ, निशु कुमारी और छोटी कुमारी (अ.सा. 1 और 2) ने अपने पिता द्वारा उन्हें शीतल पेय पिलाने की बात कही है और उसे पीने के बाद दोनों को बेचैनी महसूस हुई लेकिन विचारण न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा किए गए अन्य खुलासे इस आरोप को बिल्कुल अविश्वसनीय बनाते हैं।

15. हमने सावधानी के साथ उनके बयान की जांच की है, यह जानते हुए कि वे बहुत कम उम्र के बच्चे होने के कारण सीमित दृष्टिकोण के साथ-साथ सीमित शब्दावली भी रखते हैं। उनके बयान से जो पता चलता है वह यह है कि उनकी माँ भोजन की सारी व्यवस्था करने के बाद घर से चली गई थीं। दुकान में अनाज रखा हुआ था। शायद खाना दोनों बहनों को तैयार करना था। माँ गुस्से में और शायद मनमुटाव में घर से बाहर चली गई थी। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि लड़कियों में से एक ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि क्योंकि माँ घर से बाहर गई थी, पिता से नाराज होकर, पिता को लड़कियों ने घर वापस आने के लिए बुलाया था। यह दोनों गवाहों का एक बहुत ही स्वाभाविक बयान है जो दर्शाता है कि बच्चों को स्थिति की आवश्यकताओं के आधार पर वैकल्पिक रूप से पिता और माता से सांत्वना मिली |

16. ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता का पुत्र निशांत कुमार अपनी माँ के साथ रह रहा था। मां निशांत कुमार के साथ पीएमसीएच आई थीं। उनका बयान इस बात का खुलासा करने के अलावा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि परिवार एक परेशान समय से गुजर रहा था।

17. इस संदर्भ में, हमने रूबी देवी (अ. सा.-4) के बयान की भी जांच की है, जो अपीलार्थी की अलग हो चुकी साली थी। मृतक की माँ (अ. सा.-5) रूबी देवी के साथ रह रहा था। रूबी अपीलकर्ता और अ. सा.-5 के बीच अंतर-व्यक्तिगत विवाद के बारे में जानती थी। कारण एक ही था, अर्थात्, अपीलकर्ता किसी अन्य महिला, अर्थात्, सोनम से भेट करता है जो अपीलकर्ता की मकान मालकिन थी। यही कारण है कि जहाँ तक अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप का संबंध है, हमने गुरिया देवी (अ. सा.-5) को एक उत्कृष्ट गवाह नहीं पाया है।

18. अपनी मुख्य परीक्षण में, उसने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता के सोनम देवी के साथ संबंध के कारण, उसका पारिवारिक जीवन अशांत है और वह घर छोड़कर अ. सा.-4 के साथ रहने चली गई है, जिसका भी वैवाहिक जीवन उथल-पुथल भरा था।

19. अ. सा.-5 के अपने पति/अपीलकर्ता पर संदेह करने का कारण यह था कि उसने अपीलकर्ता द्वारा सोनम को भेजे गए कुछ संदेश देखे थे। अपीलार्थी के एक मित्र, संजय कुमार के साथ उसके संबंधों के बारे में मुकदमे के दौरान उसे दिए गए सुझावों का लेकिन उसने जोरदार खंडन किया है। उसे यह भी सुझाव दिया गया था कि शायद, लंबे समय तक अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, उसके पास मिश्रित सेल्फोस था जिसे शायद एक बेटी ने गलती से खा लिया था, जिसे उसने भी अस्वीकार कर दिया था।

20. परेशान पारिवारिक जीवन का उदाहरण इस तथ्य से भी झलकता है कि अ. सा.-5 ने आरोप लगाया है कि अपीलार्थी के साथ उसकी शादी के बाद लगभग नौ साल तक उसने परिवार का आर्थिक रूप से समर्थन किया, लेकिन उसके बाद उसे वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काम करना पड़ा।

21. साक्ष्य का एक और पहलू है जिसने हमारा ध्यान तुरंत आकर्षित किया है। अ.

सा.-5 ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि कई तारीखों पर उसके खाते में पैसे भेजे गए थे। उन्होंने इस तरह के धन भेजने वाले के सम्बन्ध में पूर्णतः अनभिज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी अज्ञानता प्रकट की है।

22. दूसरी ओर, अपीलकर्ता का दावा है कि वह नियमित रूप से अपनी पत्नी को पैसे भेज रहा था। इस प्रकार, अपीलकर्ता के अनुसार, पत्नी (अ. सा.-5) ने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया था और घर से भाग गई थी। उस मानसिकता के साथ, उसके लिए अपने पति/अपीलकर्ता पर दोष मढ़ना बहुत आसान था। बचाव पक्ष के गवाह के रूप में अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी (अ. सा.-5) के बैंक खाते में उसके द्वारा भेजी गई राशि का विवरण दिया है।

23. इन तथ्यों को एक तरफ रखते हुए, फिर से अफसोस की बात यह है कि अन्वेषक ने सच्चाई तक पहुंचने का कोई प्रयास नहीं किया। कम से कम वह बाहरी लोगों, पड़ोसियों और शायद अपीलकर्ता और अ. सा.-5 के अन्य रिश्तेदारों से परिवार, उनकी आर्थिक स्थिति और पति-पत्नी के बीच के रिश्ते के बारे में जान सकता था। अन्वेषक को यह पता लगाना चाहिए था कि मृतक और अन्य बच्चों के माता-पिता दोनों ने उन्हें क्यों छोड़ दिया है।

24. जहर कहाँ से आया?

25. यदि जाँचकर्ता द्वारा जाँच शुरू करने के लिए प्राथमिकी आधार थी, तो अन्य बेटियों और स्वयं अपीलकर्ता पर जहरीले ठंडे पेय के प्रभाव के बारे में जानने के लिए कुछ प्रयास किए गए होंगे, जिनमें से सभी ने कथित रूप से पेय का सेवन किया था। अ. सा.-5, पीएमसीएच के किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घटना के बारे में सूचित किए जाने पर, पीएमसीएच आयी और अपनी एक बेटी को मृत पाया, जबकि अन्य बेटियाँ और अपीलार्थी जहरीले तरल के सेवन के लिए इलाज करा रहे थे।

26. इसका कुछ अभिलेख (रिकॉर्ड) रहा होगा। अन्वेषक द्वारा ऐसा कुछ भी एकत्र नहीं किया गया है जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी को पुष्ट किया जा सके कि अपीलकर्ता ने

अपने बच्चों को जबरन जहरीला पेय पिलाया और फिर खुद भी उसे पी लिया।

27. इस बात का कोई सबूत नहीं है कि शराब पीने से घर की दुर्भाग्यपूर्ण सबसे छोटी बेटी को छोड़कर किसी और पर कोई प्रभाव पड़ा है।

28. हमने मृत्युपरीक्षण (पोस्टमॉर्टम) रिपोर्ट की भी जांच की है। डॉ. शिव रंजन कुमार (अ. सा.-6) ने 22.01.2016 पर लगभग 03.30 बजे पोस्टमॉर्टम किया था। उन्हें पूरे शरीर पर शवककठोरता विद्यमान थी। नाखून और होंठ नीले हो गए थे। आँखें और मुँह बंद थे। शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी। पेट में क्रीम रंग का तरल पदार्थ था। आंतरिक अंगों में संकुलन पाए गए।

29. उन्होंने नियमित रूप से विसरा को संरक्षित करने का फैसला किया। हालाँकि, मृत्यु के कारण के बारे में, हालांकि उन्होंने विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया, लेकिन अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मृतक की मृत्यु के कई कारण हो सकते हैं।

30. हालांकि विसरा को तुरंत भेजा गया और समय के भीतर प्रयोगशाला में भी प्राप्त किया गया, लेकिन रिपोर्ट छह महीने के बाद ही प्रस्तुत की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सेल्फोस सम्बंधित केवल एक नियमित अवलोकन था। भले ही रिपोर्ट सही थी, क्योंकि यह मान लेना आवश्यक है कि परीक्षण करने वाले व्यक्ति की क्षमता पर संदेह करने के लिए कुछ भी नहीं है, मृतक के द्वारा अनजाने में किसी जहरीले पदार्थ का सेवन करने की संभावना हो सकती है।

31. एक बेटी ने यहाँ तक कहा है कि अपीलकर्ता ने मृतक की गला घोटकर हत्या कर दी थी।

32. यह आगे दर्शाता है कि गवाह कहानियाँ बना रहे थे।

33. यह उनकी कल्पना नहीं हो सकती थी क्योंकि एक बच्चे के मस्तिष्क की सृजनात्मक क्षमता सीमित होती है।

34. क्या उन्हें उनके मामा और माँ द्वारा पढ़ाया जा रहा था?

35. हम नहीं जानते।
36. जांच के आभाव से इस तथ्य की पुष्टि और भी अधिक हो जाती है
37. इस मामले को समग्र रूप से देखते हुए, हम अ. सा. 1 से 5 तक के बयान पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं हैं। इस मामले की जांच पूरी तरह से घटिया है
38. उपर्युक्त कारणों से, हम विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि और सजा के फैसले पर अपना प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं हैं।
39. इस प्रकार हम अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर देते हैं और उसे संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर देते हैं।
40. अपील की अनुमति है।
41. अपीलकर्ता अब तक लगभग आठ साल से जेल में है। यदि किसी अन्य मामले में हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।
42. इस फैसले की एक प्रति अनुपालन और रिकॉर्ड के लिए तुरंत संबंधित जेल के अधीक्षक को भेजी जाए।
43. इस मामले के अभिलेख भी तत्काल विचारण न्यायालय को प्रेषित किए जाएंगे।
44. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा कर दिया जाता है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति)

राजेश/ऋतिक

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।